

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तीडगढ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- रमेश सीरवी पुनाडियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या- 76/2021
GCMS NO- 2021/221

1. मु० कान्ता बाई पुत्री ओमप्रकाश जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
2. मु० कोशल्या बाई पुत्री चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
3. गणपतलाल पुत्र चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
4. गोतमलाल पिता ओमप्रकाश जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
5. जीवनलाल पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
6. नाथी बाई पत्नि ओमप्रकाश जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
7. पुष्करलाल पिता ओमप्रकाश जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
8. पुष्पा पुत्री ओमप्रकाश जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
9. मोहनलाल पिता चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
10. रमेशचन्द पिता चुन्नीलाल जी कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
11. राधा बाई पुत्री चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
12. लाली बाई पुत्री चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
13. सुमित्रा बाई पुत्री चुन्नीलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा

प्रार्थीगण

/ वनाम /

1. कालुराम पिता मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
2. घीसी पुत्री मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
3. देवीलाल पिता मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
4. पुरण पिता मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
5. प्रेम पुत्री मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
6. वंशी पिता मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
7. मोहन पिता मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा
8. राधी पुत्री मांगीलाल जी जाति धोवी आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह० निम्बाहेडा राज०

राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज०

—अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थित :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार - स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 28.06.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की आराजी वाके मोजा मांगरोल प०ह० मांगरोल तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 547 की आराजी नम्बर 1208 रकबा 0.4000 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 1324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा स्थित है एवं इसी प्रकार खाता संख्या 548 की आराजी नम्बर 1193 रकबा 0.2300 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 1329 रकबा 18 बिस्वा स्थित है व इसी प्रकार खाता संख्या 411 की आराजी नम्बर 1215 रकबा 0.3000 हेक्टेयर जिसके पुराने आराजी नम्बर 1312 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा स्थित हैं।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की चली आ रही है वाद ग्रस्त सभी आराजियात वादीगण के पिता व दादा चुन्नीलाल पिता अमृतराम जी कुमावत निवासी मांगरोल ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18/05/1959 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से गोदु पिता रामा जी राजपुत निवासी मांगरोल से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है प्रार्थीगण के पिता व दादा चुन्नीलाल जी ने वाद ग्रस्त पुराने आराजी नम्बर 1324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से पश्चिम दिशा का आधा हिस्सा यानि 1 बीघा 12 बिस्वा भुमि क्रय की थी और उक्त भुमि का पश्चिम दिशा का हिस्सा सन् 1959 से प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है जिसके नये आराजी नम्बर 1208 है तथा शेष 1/2 हिस्सा पूर्वी दिशा का हिस्सा विपक्षीगण ने गोदु जी के वारिसान से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके नये आराजी नम्बर 1209 है।
3. प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि पूर्वी दिशा के 1/2 हिस्से पर विपक्षीगण का कब्जा चला आ रहा है उक्त आराजियात पुराने आराजी नम्बर 1324 पुराने नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 1324 के नये आराजी नम्बर 1208 व 1209 को गलत रूप से तरमीम कर दिया है प्रार्थीगण व विपक्षीगण के कब्जे अनुसार तरमीम नहीं किया है उक्त आराजियात में से प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1208 मौके पर आराजी नम्बर 1207 व 1195 से लगी होकर प्रार्थीगण का पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर दक्षिण लम्बाई में कब्जा है तथा आराजी नम्बर 1208 व 1209 के मध्य पूर्व पश्चिम जो लाईन डली हुई है वह लाईन उत्तर दक्षिण होनी चाहिये और प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1208 के पूर्व दिशा में विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1209 मौके पर स्थित है और उसी अनुसार विपक्षीगण का पूर्व दिशा में कब्जा चला आ रहा है और उक्त तरमीम कब्जे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम होनी चाहिये थी जो राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नहीं हुई है इसलिये प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात नम्बर 1208 व 1209 को मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किया जाकर नवीन राजस्व रेकार्ड व नवीन नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा प्रार्थीगण का नवीन आराजी नम्बर 1215 जिसके पुराने आराजी नम्बर 1312 है और उक्त आराजी पर भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18/05/1959 से मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है इसलिये उक्त नवीन आराजी नम्बर 1215 को नवीन नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दिये जाने से आराजी नम्बर 1215 को 1193 के स्थान पर तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।



1/7/1
चित्तौड़ग
26/8
किता
26/8
4/11
12/11
12/11
12/11
1.2
2

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी नं० 1 से 8 बावजुद सूचना के अनुपरिथत हुए उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई, विपक्षी संख्या 9 तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/18 दिनांक 28.10.2021 एवं पत्र क्रमांक 372 दिनांक 28.02.2023 द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण के नाम दर्ज ग्राम मांगरोल की आराजी नं. 1208 रकबा 0.40 है० एवं प्रतिवादी गण के नाम दर्ज आराजी नं. 1209 रकबा 0.42 है०, दोनों ही आराजी गत भू प्रबन्ध की साबिक आराजी नं. 1324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से बने है । प्रार्थीगण के पिता द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1959 अनुसार गत साबिक आराजी नं. 1324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से पश्चिम दिशा की 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि क्रय करना अंकित है जिसका नामान्तरण संख्या 132 दिनांक 19.04.1962 से जमाबन्दी में अमल हुआ। इस बाबत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि मौके एवं विक्रय पत्र अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 1208 व 1209 के पश्चिमी दिशा में प्रार्थीगण एवं पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है । प्रकरण में इन्द्राज शुद्धि बाबत खातेदारों की असहमति बाबत किसी प्रकार का उचित कारण जाहिर नहीं आया। इसलिए प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आरजियात का मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा ने निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया है।

वर्तमान इन्द्राज				प्रस्तावित इन्द्राज		
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार
102	1209	0.42	श्री कालुराम, देवीलाल पुरण, बंशी, मोहन पिता मांगीलाल धीसी, प्रेम राधी पुत्रीया मांगीलाल धोबी सा. मांगरोल	1208 में से पश्चिम	0.19	श्री पुष्करलाल, गोतमलाल, कान्ताबाई, पुष्पाबाई पिता ओमप्रकाश, मु. नाथीबाई पत्नि ओमप्रकाश 1/9, मोहनलाल 1/9, गणपतलाल 1/9, रमेशचन्द्र 1/9 जीवनलाल 1/9, राधाबाई 1/9, कौशल्याबाई 1/9, सुमित्राबाई 1/9 लालीबाई 1/9 पिता चुन्नीलाल कुमावत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर
				1209 में से पश्चिम	0.21	
				कुल किता 2	कुल रकबा 0.40 है०	
547	1208	0.40	श्री पुष्करलाल, गोतमलाल, कान्ताबाई, पुष्पाबाई पिता ओमप्रकाश, नाथीबाई पत्नि ओमप्रकाश 1/9, मोहनलाल 1/9, गणपतलाल 1/9 रमेश चन्द्र 1/9 जीवनलाल 1/9 राधाबाई 1/9 कोशलया बाई 1/9, सुमित्राबाई 1/9, लालीबाई 1/9 पिता चुन्नीलाल कुमावत सा. देह खातेदार रहन GSS मांगरोल हिस्सा जीवनलाल का	1208 में से पूर्वी	0.21	कालुराम 1/8, देवीलाल 1/8, मोहन 1/8, बंशी 1/8, पूरण 1/8, धीसी 1/8, राधी 1/8, प्रेम 1/8 पिता मांगीलाल धोबी सा देह खातेदार
				1209 में से पूर्वी	0.21	
				कुल किता 2	कुल रकबा 0.42 है०	



दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज नक्शों की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 547 के आराजी नम्बर 1208 रकबा 0.400 हैक्टैयर, खाता संख्या 102 के आराजी नम्बर 1209 रकबा 0.4200 हैक्टैयर, आराजी नम्बर 1480 रकबा 0.86 हैक्टैयर, मिलान क्षेत्रफल एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं

दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज ग्राम मांगरोल की वर्तमान आराजी नम्बर 1208 रकबा 0.40 हैक्टैयर एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज ग्राम मांगरोल की वर्तमान आराजी नम्बर 1209 रकबा 0.42 हैक्टैयर जो गत प्रबन्ध की आराजी नम्बर 1324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से बने है। प्रार्थीगण के पिता व दादा चुन्नीलाल ने वादग्रस्त पुराने आराजी नम्बर 1324 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से पश्चिम दिशा की 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि क्रय की थी। उक्त भूमि का पश्चिम दिशा का हिस्सा प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे में चली आ रही थी जिसके नये आराजी नम्बर 1208 हैं तथा शेष पूर्वी दिशा का हिस्सा विपक्षीगणों के कब्जे में चली आ रही हैं जिसके नवीन आराजी नम्बर 1209 हैं। आराजी नम्बर 1324 के पुराने नक्शे में तरमीम नहीं थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 1324 के नये आराजी नम्बर 1208 व 1209 को गलत रूप से तरमीम कर दिया है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का कब्जे अनुसार तरमीम नहीं किया है। ग्राम मांगरोल की वर्तमान आराजी नम्बर 1208 व 1209 में मौके पर काबिज एवं विक्रय पत्र अनुसार पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण का कब्जा तथा आराजी नम्बर 1208 व 1209 के पूर्वी भाग पर प्रतिवादीगण कब्जा काश्त प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण कब्जे अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन चाहते हैं तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी कब्जे अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन की अनुशंसा की है। अतः ग्राम मांगरोल की वर्तमान आराजी नम्बर 1208 व 1209 में मौके पर काबिज अनुसार तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस एवं राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

7. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना-पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरुस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत आवश्यक होने पर दुरुस्त किया जा सकता है।



आदेश है कि

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 पूर्व रिकॉर्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी



ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तहसील निम्बाहेडा की आराजी नम्बर 1208 व आराजी नम्बर 1209 के पश्चिम तरफ प्रार्थीगण व पूर्वी तरफ विपक्षीगण का कब्जा में तरमीम शुद्धि के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दशमद करे। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा

वर्तमान इन्द्राज				प्रस्तावित इन्द्राज		
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार
102	1209	0.42	कालुराम, देवीलाल, पुरण, बंशी, मोहन पिता मांगीलाल घीसी, प्रेम राधी पुत्रीया मांगीलाल घोबी सा. मांगरोल	1208 में से पश्चिम	0.19	श्री पुष्करलाल, गोतमलाल, कान्ताबाई, पुष्पाबाई पिता ओमप्रकाश, मु. नाथीबाई पत्नि ओमप्रकाश 1/9, मोहनलाल 1/9, गणपतलाल 1/9, रमेशचन्द्र 1/9 जीवनलाल 1/9, राधाबाई 1/9, कौशल्याबाई 1/9, सुमित्राबाई 1/9 लालीबाई 1/9 पिता चुन्नीलाल कुमावत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर
				1209 में से पश्चिम	0.21	
				कुल कित्ता 2	कुल रकबा 0.40 है0	
547	1208	0.40	श्री पुष्करलाल, गोतमलाल, कान्ता बाई, पुष्पाबाई पिता ओमप्रकाश, मु. नाथीबाई पत्नि ओमप्रकाश 1/9, मोहनलाल 1/9, गणपतलाल 1/9 रमेश चन्द्र 1/9 जीवनलाल 1/9 राधाबाई 1/9 कोशलया बाई 1/9 सुमित्रा बाई 1/9 लालीबाई 1/9 पिता चुन्नीलाल कुमावत सा. देह खातेदार रहन GSS मांगरोल हिस्सा जीवनलाल का	1208 में से पूर्वी	0.21	कालुराम 1/8, देवीलाल 1/8, मोहन 1/8, बंशी 1/8, पूरण 1/8, घीसी 1/8, राधी 1/8, प्रेम 1/8 पिता मांगीलाल घोबी सा देह खातेदार
				1209 में से पूर्वी	0.21	
				कुल कित्ता 2	कुल रकबा 0.42 है0	



निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो।

(रमेश सीरवी पुत्राधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा